

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
 Tel.: 011-2695168, 8860748880
 Email- mpquota@kvs.gov.in
 Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 25.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Naba (Hira) Kumar Sarania** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 41 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	MARVI ROY	SH. DIPPUNJA ROY MOB- 8822654003	1	KOKRAJHAR ASSAM
2	DEEP RANJAN BASUMATARY	SH. DANSWRANG BASUMATARY MOB- 6380089780	1	KOKRAJHAR ASSAM
3	NASIM HUSSAIN ANSARI	SH. MUSTAFA HUSSAIN MOB- 9954804807	7	KOKRAJHAR ASSAM
4	BARBI ROY	SH. KESHAB ROY MOB- 8135893271	1	KOKRAJHAR ASSAM
5	MANAB JYOTI RAY	SH. MAHAT RAY MOB- 9854108655	1	KOKRAJHAR ASSAM
6	DIKSHU DAS	SH. MANESWAR DAS MOB- 6000966784	2	TAMULPUR
7	NANDINI BALA MANDAL	SH. PRADIP MANDAL MOB- 9101349408	1	TAMULPUR
8	BIKI KALITA	SH. BALORAM KALITA MOB- 8486259570	1	TAMULPUR
9	MADHURJYA SARANIA	SH. MANABENDRA DAS MOB- 9508044462	3	TAMULPUR
10	JISHIKA RABHA	SH. SAMBHU RABHA MOB- 9365456394	4	TAMULPUR

प्रा. ठाकुर

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

प्रा. ठाकुर
3/8/20
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Naba (Hira) Kumar Sarania माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, GUWAHATI संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

